न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 69 / 09 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :– 1. नारायण पुत्र सगरिया जाति माली निवासी झंझारपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

– अपीलांट

बनाम

1. भगवाना पुत्र सगरिया जाति माली
2. कैलाश पुत्र सगरिया जाति माली निवासी झंझारपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
3. रामलाल पुत्र सगरिया जाति माली
4. लीला पुत्र सगरिया जाति माली
5. ख्याली पुत्र गोदा पौत्र सगरिया
6. दुर्गा पुत्र गोदा पौत्र सगरिया
7. रामचन्द्र पुत्र गोदा पौत्र सगरिया
8. दाताराम पुत्र गोदा पौत्र सगरिया
9. सुभाष पुत्र गोदा पौत्र सगरिया निवासी ग्राम झंझारपुर तहसील बानसूर जिला अलवर

:—— असल रेस्पो०

10. तहसीलदार, बानसूर

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक जिलाधीश, बानसूर दिनांक 22.4.2009

उपस्थित :–	1.	वकील अपीलांट	:–	श्री अनिलकुमार गुप्ता
	2.	वकील रेस्पो०	:–	श्री अशोककुमार मुदगल

निर्णय दिनांक 17.8.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व ... अलवर

Scanned by CamScanner

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक जिलाधीश, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 140/2008 में उनवान नारायण वगैरा बनाम भगवाना वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 22.4.2009 के विरूद्ध है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2574 रकबा 0.01, 2575 रकबा 0.01, 2576 रकबा 1.88 हेक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 1929, 2601, 2602, 2603, 1951 से बनाये गये है । इस आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा है । शामलात में खेती करने में प्रतिवादीगण मजाहमत करते है । अत निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.4.09 द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि पत्रावली संख्या 53/08 में निर्णय हो चुका है, निर्णय की प्रति संलग्न पत्रावली हो । इस निर्णय से व्यथित होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की है ।

2. बहस में विद्वान वकील वादी अपीलांट का कथन है कि तहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । तहत न्यायालय में धारा 10 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि इसी आराजी से सम्बन्धित एक दावा और श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है । इस कारण इस प्रकरण को स्टे किया जावे । उस प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और दावा संख्या 53/2008 के साथ समेकित कर उसी के तथ्यों पर निर्णीत कर निर्णय पारित कर दिया गया । तनकी कायम कर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । दोनो प्रकरण में तथ्य एवं पक्षकार, अनुतोष अलग अलग है, इसलिये दोनों प्रकरणों को समेकित नही करना चाहिये था । वाद पत्र में हिस्से गलत दर्ज कर दिये गये थे । हमारी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 का पेश किया गया था, जिसका भी कोई निर्णय नहीं किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

3. बहस के दौरान विद्वान वकील रेस्पो0 का कहना है कि तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अगर फिर भी अपीलांट प्रकरण को पुनः निर्णय पारित कराने हेतु रिमांड कराना चाहता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि तहत न्यायालय में धारा 10 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिस पर तहत न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया गया है तथा दिनांक 22.4.2009 की आदेशिका में अंकित कर दिया गया कि पत्रावली संख्या 53/2008 में निर्णय हो चुका है, निर्णय की प्रति संलग्न पत्रावली हो, पत्रावली दिनांक 18.5.09 को पेश हो । इसके बाद दिनांक 18.5.09 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि कुरेजात रिपोर्ट इंतजार में पत्रावली दिनांक 26.6.09 को पेश हो । जब पत्रावली में धारा 10 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था तो तहत न्यायालय को चाहिये था कि सर्वप्रथम इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है, उसके बाद राजस्व पत्रावली संख्या 140/2008 में आगे कार्यवाही करते । इस पत्रावली में उभयपक्ष को सुना ही नहीं दिया गया है तथा इस पत्रावली के निर्णय हेतु राजस्व पत्रावली संख्या 53/2008 में पारित निर्णय को ही आधार बना लिया है, जिसे कि न्यायोचित नही कहा जा सकता । अपीलांट अपनी सुनवाई

Scanned by CamScanner

हेतु प्रकरण को रिमांड कराना चाहता है । स्वयं रेस्पो० को भी प्रकरण रिमांड किये जाने में कोई आपत्ति नही है । अत उपरोक्त विवेचन की रोशनी में हम प्रकरण को न्याय हित में रिमाड किया जाना उचित समझते है ।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 22.4.09 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के जो भी objections है, उन्हें प्राप्त करें । तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 19.9.2016 को उपस्थित हों ।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner